न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–गांगीलाल आर.ए.एस.
दावा बाबत आर0टी0ए0 88 व 136 एल.आर.एक्ट
प्रकरण संख्या–286 / 2020

बलवीरसिह पुत्र दरबारासिह जाति जटसिख निवासी वशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादी

उपस्थिति–श्री महावीर प्रसाद वर्मा अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 22.01.2021

वादी ने प्रतिवादी के विरूद्व यह दावा बाबत् घोषणा व दुरूस्ती के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि चकनं0 4 एमकेएस के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के वर्तमान खातासं0 65 / 57 में कुल 2.589 है0 कृषि भूमि व इसी चक के संयुक्त खाता सं0 64 में 0.052 है0 कृषि भूमि में से 17 / 52 हिस्सा यानि 0.017 है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी का नाम चकनं0 4 एमकेएस के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के वर्तमान खातासं0 65 / 57 में व इसी चक के संयुक्त खाता सं0 64 में बिलूसिह पुत्र दरबारासिह दर्ज है। बचपन में प्यार से वादी को बिलूसिह नाम से पुकारा जाता रहा है जबकि वादी का वास्तविक नाम बलवीरसिह पुत्र दरबारासिह ह। वादी के दस्तावेजात मतदाता पहचान–पत्र, आधार कार्ड व पैनकार्ड, भामाशाह कार्ड में बलवीर सिंह पुत्र दरबारासिह अंकित हे। राशनकार्ड मं बिल्लूसिह उर्फ बलवीरसिह पुत्र दरबारासिह नाम दर्ज है। वादी को बिल्लूसिह उर्फ बलवीरसिंह पुत्र दरबारासिह दोनो नामों से जाना जाता है एंव दोनो नाम एंक ही व्यक्ति के है।वादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे बिल्लूसिह व अन्य दस्तावेजात में बलवीरसिह नाम अंकित रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन हो रहा है तथा वादी अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित हो रहा है। वादी को उक्त भूमि पर मिलने वाली सुविधाओं मे भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है व वादी के दोनो नामो में भिन्नता बनी रहती है। इसलिए वादी चकनं0 4 एमकेएस के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 65 / 57 व इसी चक के संयुक्त खाता सं0 64 में वादी का नाम बिलूसिह पुत्र दरबारासिह के स्थान पर दुरूस्ती करवाकर बलवीरसिह पुत्र दरबारासिह अंकित करवाना चाहता है।नाम दुरूस्त करवाने से खातेदारी हक हकूक पर व राज्य हित पर कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ेगा।

वादी ने प्रतिवादी को वादपत्र की दफा 2 में दर्ज में वादी का नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया

गया।प्रतिवादी स्टेट द्वारा अपना जवाबदावा पेश किया गया जिसमें स्टेट द्वारा कोई आपति नही की गई, स्टेट द्वारा अंकित किया गया है कि वादी का नाम बिलूसिह के स्थान पर बलवीरसिह नाम अंकित किया जाता है तो राज्यहित प्रभावित नही होते। प्रतिवादी स्टेट की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी की भूमि में वादी का नाम बिलूसिह दर्ज है जबकि वादी का सही नाम बलवीरसिह है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी की रिपोर्ट में भी वादी का नाम दुरूस्त कर बिलूसिह के स्थान पर बलवीरसिह नाम अंकित करने की अनुषंशा की गई ह। इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में अपना नाम बिलूसिह के स्थान पर बलवीरसिह दर्ज करवाना चाहता है जिसका स्टेट द्वारा कोई विरोध नही किया गया है।वादी के नाम की दुरूस्ती से राज्यहित प्रभावित नही होते है।वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री फरमाया जावे।

बहस सुनने के बाद प्रस्तुत दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। तहसीलदार राजस्व, टिब्बी की रिर्पोट में बिलूसिह की जगह बलवीरसिह नाम किये जाने की अनुषंशा की गई है।राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादी के नाम से दर्ज है, जिसमें वादी का नाम बिलूसिह नाम दर्ज है, तथा इस बाबत वादी ने अपने दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचान–पत्र, भामाशाह कार्ड, पैनकार्ड की फोटो प्रतियॉ पेश की है जिसमें वादी का नाम बलवीरसिह है। वादी अपना सही नाम बलवीरसिह दर्ज करवाना चाहता है। वादी का वाद मात्र दुरूस्ती का है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है।उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि चकनं0 4 एमकेएस के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 65/57 व इसी चक के संयुक्त खाता सं0 64 में वादी का नाम बिलूसिह पुत्र दरबारासिह के स्थान पर दुरूस्त कर बलवीरसिह पुत्र दरबारासिह अंकित किये जाने आदेश दिये जाते है। उपरोक्त अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी।

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 286 / 2020

बलवीरसिह पुत्र दरबारासिह जाति जटसिख निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर प्रसाद वर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चकनं0 4 एमकेएस के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 65 / 57 व इसी चक के संयुक्त खाता सं0 64 में वादी का नाम बिलूसिह पुत्र दरबारासिह के स्थान पर दुरूस्त कर बलवीरसिह पुत्र दरबारासिह अंकित किये जाने आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज....x....निल.......x...मुब्लिक...x...निल....x....बाबत्...x.....निल.....x.......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....x........अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 22.01.2021 को जारी किया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
टिब्बी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी